

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक: 28 मई, 2018

सा० आ० : विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2010 (2010 की सं० 25) के तहत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 9 की उप-धारा (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित अधिकारियों को ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के माल अथवा सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी, जैसाकि निर्धारित किया जाए के आयात अथवा निर्यात के प्रयोजनों के लिए लाइसेंस प्रदान करने अथवा नवीकरण करने अथवा लाइसेंस प्रदान करने अथवा नवीकरण करने से इन्कार करने अथवा लाइसेंस निलंबित करने अथवा रद्द करने और ऐसे प्रमाणपत्र, स्क्रिप अथवा कोई ऐसा लिखत जो वित्तीय या राजकोषीय लाभ प्रदान करता हो, प्रदान करने अथवा नवीकरण करने अथवा प्रदान करने अथवा नवीकरण करने से इन्कार करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने के पश्चात् प्रदान करने अथवा नवीकरण करने से इन्कार करने हेतु अधिकृत करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारियों का पदनाम	ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र जिनके संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना है
1.	अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार	पूरे भारत में
2.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार के मुख्यालय स्थित कार्यालय में	पूरे भारत में
	(ख) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में	ऐसे प्राधिकारी के संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में
3.	उप महानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार के मुख्यालय स्थित कार्यालय में	पूरे भारत में
	(ख) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में	ऐसे प्राधिकारी के संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में
4.	सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार	
	(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार के मुख्यालय स्थित कार्यालय में	पूरे भारत में
	(ख) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में	ऐसे प्राधिकारी के संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में
5.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त, मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र	ऐसे प्राधिकारी के संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में
6.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय	इस आदेश के अनुलग्नक में सूचीबद्ध मदों के लिए पूरे भारत में

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फा० सं०. 01/93/180/41/एम-17/पीसी-2(ख)/ई-3347) से जारी)

अनुलग्नक

प्रतिबंधित मदें (केवल रक्षा उपयोग के लिए) जिनके लिए रक्षा उत्पादन विभाग से आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी

क्रम सं०	एक्जिम कोड	मद विवरण
1.	85255010	रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर (केवल रक्षा अनुप्रयोगों के लिए)
2.	85255020	टी.वी.ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर
3.	85255040	कम्यूनिकेशन जैमिंग उपकरण
4.	85255090	अन्य
5.	85256012	समुद्री रेडियो संचार उपकरण
6.	85256092	अन्य उपग्रह संचार उपकरण
7.	85261000	रेडार उपस्कर
8.	85269110	दिशा मापक उपकरण
9.	85269130	दिशा खोजी यंत्र
10.	85269140	नॉन डायरेक्शनल बिकोन
11.	85269150	वीएचएफ ओम्नी रेंज यंत्र
12.	85269190	अन्य
13.	85291011	कम्यूनिकेशन जैमिंग यंत्र के लिए (डिश एंटीना)
14.	85291022	कम्यूनिकेशन जैमिंग यंत्र के लिए (अन्य एरियल/एंटीना)
15.	85291092	कम्यूनिकेशन जैमिंग यंत्र के लिए (अन्य)
16.	85299020	कम्यूनिकेशन जैमिंग यंत्र के लिए
17.	85438991	कम्यूनिकेशन जैमिंग यंत्र के लिए आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) पावर एम्प्लीफायर तथा ध्वनि जेनरेटर, स्थिर/मोबाइल/मैनपोर्टबल
18.	87100000	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, मोटराइज्ड चाहे वो हथियारों सहित और ऐसे वाहनों के पार्टस के साथ सज्जित हों या न हों।
19.	88021100	हेलिकॉप्टर, जिनका लदान रहित भार 2000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है
20.	88021200	हेलिकॉप्टर, जिनका लदान सहित भार 2000 कि० ग्रा० से अधिक है
21.	88022000	वायुयान और अन्य एयरक्राफ्ट जिनका लदान रहित भार 2000 कि० ग्रा० से अधिक न हो
22.	88023000	वायुयान और अन्य एयरक्राफ्ट जिनका लदान सहित भार 2000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 15000 कि० ग्रा० से अधिक न हो।

23.	88024000	वायुयान और अन्य एयरक्राफ्ट, जिनका लदान रहित भार 15000 कि० ग्रा० से अधिक हो ।
24.	88026000	स्पेस क्राफ्ट (उपग्रह सहित) और सबऑर्बिटल एवं स्पेस क्राफ्ट लांच वाहन
25.	89061090	युद्धपोत
26.	90049010	पैसिव नाइट विजन गौगल्स
27.	90131010	शस्त्रों में फिटिंग के लिए टेलीस्कोपिक साइट्स
28.	93011100	स्व-प्रणोदित (तोप हथियार)
29.	93091900	अन्य
30.	93012000	राकेट लांचर; फ्लेम थ्रोअर; ग्रेनेड लांचर टारपीडो ट्यूब और इसी प्रकार के प्रोजेक्टर्स
31.	93019000	अन्य
32.	88021100	हेलिकॉप्टर जिनका लदान रहित भार 2000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है
33.	88021200	हेलिकॉप्टर जिनका लदान रहित भार 2000 कि० ग्रा० से अधिक है
34.	88022000	वायुयान और अन्य एयरक्राफ्ट, जिनका लदान रहित भार 2000 कि० ग्रा० से अधिक न हो
35.	93059100	शीर्ष संख्या 9301 के सैन्य हथियार
36.	93059900	अन्य
37.	93062100	कार्ट्रिज
38.	93062900	अन्य
39.	93063000	अन्य कार्ट्रिज और उनके पुर्जे
40.	93069000	अन्य
41.		मानवरहित वायुयान प्रणाली (यूएसएस)/मानवरहित एरियल वाहन (यूएवी)/सुदूर पाइलेटेड वायुयान (आरपीए)/ड्रोन का आयात निषिद्ध है।
42.	9301	रिवाल्वर, पिस्टल्स और शीर्ष सं० 9307 के अस्त्र-शस्त्र को छोड़कर सेना के हथियार
43.	930110	अर्टिलरी हथियार (उदाहरण के लिए गन, होवीजर और मोर्टार्स)
44.	93011010	स्व-प्रणोदित
45.	93091090	अन्य
46.	93012000	राकेट लांचर; फ्लेम थ्रोअर; ग्रेनेड लांचर; टारपीडो ट्यूब और इसी प्रकार के प्रोजेक्टर्स
47.	93019000	अन्य
48.	93020000	शीर्ष सं० 9303 अथवा 9304 के रिवाल्वरों और पिस्टलों को छोड़कर रिवाल्वर और पिस्टल
49.	9306	बम, ग्रेनेड, टारपीडो, माइन्स, मिसाइल और इसी तरह की युद्ध सामग्री तथा उनके पुर्जे, कार्ट्रिज और अन्य युद्धोपकरण और प्रोजेक्टाइल तथा उनके पुर्जे, शॉट और कार्टिज वैड्स सहित शोटगन कार्ट्रिज और उनके पुर्जे; एयर गन पेलेट्स
50.	93062100	कार्ट्रिज
51.	93062900	अन्य

52.	93063000	अन्य कार्ट्रिज और उनके पुर्जे
53.	93069000	अन्य
	सीसीईसीसीएन	विवरण
54.	0क606.ख	जमीनी वाहन, पूर्जे और संघटक, निम्नानुसार हैं: 1. शस्त्र रहित वाहन जिन्हे सिविलियन वाहनों से तैयार किया जाता है और जिनमें निम्नलिखित सभी हैं: क. स्तर III (राष्ट्रीय न्याय मानक संस्थान 0108.01, सितम्बर 1985) या उससे बेहतर को बैलिस्टिक संरक्षण प्रदान करने के लिए रिएक्टिव या इलेक्ट्रोमैग्निटिक आर्मर को छोड़कर सामग्रियों या संघटकों के साथ विनिर्मित या फिटेड; ख. भार ढोने के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त पहियों वाले उन वाहनों सहित आगे और पीछे दोनों के पहियों को ड्राइव प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन चाहे वे चालित हो या न हों; ग. 4500 कि० ग्रा० से अधिक सकल वाहन भार दर निर्धारण (जीवीडब्ल्यूआर) और घ. सड़क के बाहर के उपयोग के लिए अभिकल्पित या रूपांतरित। 2. पूर्जे और संघटक जिनमें निम्नलिखित सभी हों: (क) इस प्रविष्टि के पैराग्राफ ख. 1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित; और (ख) स्तर III (राष्ट्रीय न्याय मानक संस्थान 0108.01 सितम्बर, 1985) या उससे बेहतर को बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करना।
55.	1क004.	सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजायन किए गए सुरक्षात्मक और पहचान उपकरण तथा संघटक, जो निम्नानुसार है (नियंत्रित मदों की सूची देखें) ग. निम्नलिखित में से किसी का पता लगाने या पहचान करने के लिए विशेष रूप से डिजायन या रूपांतरित परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) पहचान प्रणाली, तथा उनके लिए विशेष रूप से डिजायन किए गए संघटक: ग. 1 'युद्ध में उपयोग के लिए अनुकूलित' जैविक एजेन्ट; ग. 2 'युद्ध में प्रयोग के लिए अनुकूलित' रेडियोधर्मी सामग्री; या ग. 3 रासायनिक युद्ध संबंधी (सी डब्ल्यू) एजेन्ट; घ. "विस्फोटक" अवशिष्ट की उपस्थिति का स्वतः पता लगाने या पहचान करने तथा 'ट्रेस डिटेक्शन' तकनीक (उदाहरण के लिए सतह ध्वनि तरंग, आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमिटर, विभेदी मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमिटर, मास स्पेक्ट्रोमिटर)
56.	1घ003	1क004.ग. और 1क004. घ के अंतर्गत नियंत्रित उपकरण के कार्य का निष्पादन करने के लिए उपकरण को सक्षम बनाने हेतु विशेष रूप से डिजायन किया गया या संशोधित "सॉफ्टवेयर"
57.	1ड.001	1क004.ग. द्वारा नियंत्रित मदों के "विकास" या "उत्पादन" के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी टिप्पणी के अनुसार "प्रौद्योगिकी"
58.	2क983	विस्फोटक या डेटोनेटर पहचान उपकरण, बल्क और ट्रेस दोनों आधारित जिसमें विस्फोटकों, विस्फोटक अवशिष्ट या डेटोनेटरों के विभिन्न प्रकारों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए स्वतः निर्णय लेने हेतु स्वचालित उपकरण

		या उपकरणों का समूह है; और पूर्ण तथा संघटक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो।
59.	2क984	30 गिगाहर्ट्ज से 3000 गिगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति क्षेत्र में प्रचालित गुप्त वस्तु पहचान उपकरण और जिसमें 100 मीटर की स्टैन्डआफ दूरी पर 1 मिलीरेडियन तक और उसके सहित 0.5 मिलीरेडियन के स्पेसियल रिजॉल्यूशन हो; और पूर्ण तथा संघटक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों।
60.	2ख018	निम्नानुसार उपकरण(केवल रक्षा अनुप्रयोगों के लिए) विशेषीकृत मशीनरी, उपकरण, गियर और उनके लिए विशेष रूप से तैयार पूर्ण तथा अनुषंगी, निम्नलिखित सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं, जिन्हें हथियारों, उपकरणों, मशीनों और युद्ध के अस्त्रों के निरीक्षण, विनिर्माण, परीक्षण और जांच के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं: क. रेडियल ड्रिलिंग मशीनों को छोड़कर आर्मर प्लेट ड्रिलिंग मशीनें; ख. आर्मर प्लेट प्लेनिंग मशीनें; ग. आर्मर प्लेट क्वेंचिंग प्रेस; घ. 2 ईंच (5 से० मी०) और उससे अधिक की दीवार मोटाई के साथ 6 फीट (183 से० मी०) या अधिक लम्बे ट्यूब की कास्टिंग में सक्षम केन्द्रापसारी कास्टिंग मशीनें; ड. गन बैरल राइफलिंग और ब्रोचिंग मशीनें और उसके लिए औजार; च. गन बैरल राइफलिंग मशीनें; छ. गन बैरल ट्रेपेनिंग मशीनें; ज. गन बोरिंग और टर्निंग मशीनें; झ. 6 फीट (183 से० मी०) स्ट्रोक या अधिक की गन होनिंग मशीनें; ञ. गन जीप स्कू लेथ; ट. गन राइफलिंग मशीनें; ठ. गन स्ट्रेटनिंग प्रेसेज; ड. टैंक टुरेट रिंग्स और स्प्रोकेटस हेतु इन्डक्शन हार्डनिंग मशीनें; ढ. जिग्स और फिक्सर्स और अन्य धातु के औजार या अनुषंगी जिन्हें शस्त्र अथवा इस प्रकार की अन्य अनुषंगी जिन्हें अग्नि शस्त्रों, आयुध और भूमि, समुद्र अथवा हवाई युद्ध हेतु अन्य सामग्री तथा उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। ण. छोटे हथियार चैम्बरिंग मशीनें; त. छोटे हथियार डीप होल ड्रिलिंग मशीनें और इससे संबंधित ड्रिल्स; थ . छोटे हथियार राइफलिंग मशीनें; द. छोटे हथियार स्पिल बोरिंग मशीनें; ध. ग्राइंडिंग मशीनों वाले टैंक टुरेट;
61.	2घ984	2क984 द्वारा नियंत्रित छुपी वस्तुओं का पता लगाने वाले उपस्कर के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर
62.	2ड.983	2क983 द्वारा नियंत्रित उपस्कर के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग अथवा 2घ 983 द्वारा नियंत्रित साफ्टवेयर के विकास हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा रूपांतरित प्रौद्योगिकी।
63.	2ड.984	2क984 द्वारा नियंत्रित उपस्कर के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग अथवा 2घ984 द्वारा नियंत्रित साफ्टवेयर के विकास हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकी
64.	6क003.ख.4.ख	अशीतित थर्मल इमेजिंग कैमरे

65.	6क998.ग	मिलीमीटर वेव एन्हान्सड विजन राडार इमेजिंग प्रणालियां जिन्हें रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है जिनमें निम्नलिखित सभी मौजूद हों:- <ol style="list-style-type: none"> 1. 94 गीगा हर्टज की फ्रिक्वेंसी पर प्रचालित हो। 2. औसत आउटपुट विद्युत 20 मेगा वाट से कम हो। 3. राडार बीम की चौड़ाई 1 डिग्री की हो तथा 4. प्रचालन रेंज 1500 मीटर के बराबर या अधिक हो।
66.	6क999.ग.	भूकंपीय संसूचन प्रणालियां जो डिटेक्टेड सिग्नल के स्रोत पर भूकंप के प्रभाव की सूचना, वर्गीकरण और निर्धारण करती हैं।
67.	6घ991	साफ्टवेयर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो और जिन्हें 6क998.ग द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के विकास, उत्पादन अथवा उपयोग हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो।
68.	6घ993.ख.	6क999.ग द्वारा नियंत्रित भूकंपीय संसूचन प्रणालियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए साफ्टवेयर
69.	9क515.ड.	माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट (उदाहरणार्थ-एकीकृत सर्किट, माइक्रो सर्किट) जिन्हें निम्नलिखित सभी विशेषताओं को पूरा करने अथवा इनके अधिक विशेषताएं होने के रूप में मूल्यांकित, प्रमाणित अथवा अन्यथा विनिर्दिष्ट अथवा वर्णित किया जाता है तथा जिन्हें यूनाईटेड स्टेटे की युद्ध सामग्रियों की सूची द्वारा नियंत्रित रक्षा उपकरणों हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है।